**कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**

पत्रांक– 1559/11सी– दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 31, 2020

सेवा में,

समस्त प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, उ0प्र0।

विषय : वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति से सम्बन्धित परियोजनाओं में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित अवनत वनभूमि/गैर वनभूमि का, चयनित वन भूमि का भूमि के शुद्ध क्षेत्रफल हेतु 5 हे0 क्षेत्रफल से कम चयनित स्थलों का आई0टी0 सेल से (DSS) Decision Support System Analysis नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यध, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा, उक्त सम्बन्ध में निर्देश, इस का पत्रांक–1428/11सी–16.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) एवं इस कार्यालय का पत्रांक–1470/11सी दिनांक 22.12.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया था कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति से सम्बन्धित परियोजनाओं में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में भूमि की उपलब्धता भारत सरकार के मानक 0.4 घनत्व से कम भूमि वृक्षारोपण हेतु शुद्ध क्षेत्रफल के लिए विभाग के आई0टी0 सेल से परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु **5 हे0 से कम क्षेत्रफल वाले चयनित स्थलों का डी0एस0एस0 एनालेसिस आई0 टी0 सेल से कराया जाना आवश्यक नहीं है,** किन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5 हे0 से कम क्षेत्रफल वाले चयनित स्थलों के सम्बन्ध में आप स्वयं सुनिश्चित कर लें कि आप द्वारा चयनित स्थल 0.4 वनास्पतिक घनत्व से कम है।

भवदीय

**(अनुपम गुप्ता)**
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक – 1559/ 11सी– , उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त मण्डलीय/जोनल मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।
2–समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उ0प्र0।

**(अनुपम गुप्ता)**
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक – 1559/ 11सी– , उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
2– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ।
3– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ।

**(अनुपम गुप्ता)**
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

O/C